

19/25

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

19/2023

जीसीएमएस : 2023/42

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर । -वादी
बनाम

1. कूसुम पत्नि किशन लाल जाति बोथरा निवासी गजसिंहपुर तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज.। -प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 23.01.2023

स्थितअधिवक्तागण

1. राजपैरोकार सरकार ।
2. श्री रविन्द्र विश्‍नोई , गणेश लोहरा अधि. प्रति.सं. 1

-: निर्णय :-

दिनांक -13.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिस्वामी/भूमिधारक है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर हर प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिवादीया के नाम चक 24 पी एस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 5 ता 8 में कुल 1.012 है.नहरी भूमि है। वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीया को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करने के विस्तृत अधिकार मिले हैं। प्रतिवादीया द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे व्यवसायिक/आवासीय रूप में प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर दुकान/उद्योग बना/चला रखे है प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरुद्ध है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उद्देश्य के तहत भरपुर खद्यान्न उत्पन्न करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं ताकि आमजन को भरपुर खद्यान्न मिल सके तथा ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज हो सके इसी उद्देश्य के तहत प्रतिवादीया को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं उससे संबंधित कार्य करने हेतु खातेदारी अधिकार दिये थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादीया एवं वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्त भी तय हुई थी जिनकी पालना प्रतिवादीया द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादीया के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि से अन्य कार्य किये जा रहे हैं जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध है। अगर प्रतिवादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो यह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक करवाकर प्रयोग में ले सकता है परन्तु प्रतिवादीया द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उपरोक्त वादग्रस्त रकबा की किस्म परिवर्तन करवाया बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है अतः वाद-वादी विरुद्ध प्रतिवादीया पेशकर निवेदन है कि वाद -वादी विरुद्ध प्रतिवादीया निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। कि चक 24 पी एस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 5 ता 8 में कुल 1.012 है.नहरी भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने एवं प्रतिवादीया को बेदखल कर कब्जा वादी को सौंपने के आदेश प्रदान किया जावें।

2. वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बंधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीया की ओर से श्री रविन्द्र विश्‍नोई व श्री गणेश लोहारा अधिवक्ता ने हाजिर होकर बकालतानामा पेश किया है तथा प्रतिवादी कूसुम के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-6-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे नाम से चक 24 पी एस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 5 ता 8 में कुल 1.012 है.नहरी भूमि खातेदारी है जिसमें मेरे द्वारा काश्त जा रही हैं। आज मौका पर ही फसल काश्त है उक्त भूमि पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा निर्माण दिखाते हुए इस न्यायालय में दावा पेश किया गया। जो मेरे को परेश



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

करने के लिए गलत पेश किया गया है। उक्त भूमि शहर के नजदीक की भूमि है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार द्वारा मुझे परेशान करने के लिए उक्त दावा व अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत किया है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर आज ही मौका पर मेरी फसल काशत है। अतः आप से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नजदीक तारीख पेशी में लेकर सुनवाई कर खारिज फरमाया जावे।

3. प्रतिवादीया के अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-6-2024 के आधार पर इस न्यायालय के आदेश क्रमांक/570 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार पुनः रिकार्ड एवं मौके की सूचना भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिये गये। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1281 दिनांक 02.09.2024 से अवगत करवाया कि उक्त रकबा पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 12/2023 दिनांक 23.01.2023 द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है तथा जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित है। उक्त रकबा में मौका पर खाली है एवं कि.न. 5 ता 8 के मध्य पक्की सड़क बनी हुई है। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत् 2080 फसल रबी में सरसों की फसल काशत की है।
4. बहस वाद- पत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92 ए राज. का0 अधि. सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के संबंध में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अवगत भी कराया है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है बल्कि सड़क का निर्माण है, मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत् 2080 रबी में सरसों की फसल काशत दर्ज की गई है। अतः धारा 177-209-92 ए का उद्देश्य काशतकार को भूमि से बेदखल करना नहीं है अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। इस भूमि को रकबा राज किया जाना कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अगर प्रतिवादीया/ अप्रार्थीया द्वारा बिना भू. रूपान्तरण करवाये भूमि का टुकड़ों में बेंचान व निर्माण कार्य करता है तो तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। प्रतिवादीया/ अप्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि का उपयोग कवाये टुकड़ो/प्लॉटों में बेंचान नहीं करेगा। इसी आशय की तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम से पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली निर्णिति होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


 {सुभाषचन्द्र}
 उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

19/23

डिक्री व मुकदमें इब्लादाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

19/2023

जीसीएमएस : 2023/42

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर ।

--:वादी

बनाम

2. कुसुम पत्नी श्री किशनलाल जाति बोथरा साकिन गजसिंहपुर तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. । --:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 23.01.2023

--: निर्णय :-

दिनांक - 13.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी राजपैरोकार,
श्री रविन्द्र बिश्नोई व श्री गणेश लोहारा अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिय जाता
है एवं डिक्री की जाती है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177-209-92 ए आरटीएक्ट
खारिज किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को
रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रतिवादीया/अप्रार्थीया को
निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि का टुकड़ो/प्लाटों में बेचान
नहीं करेगा।

डिक्री आज दिनांक 13.06.2025 को जारी की गई।



6

(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

दिनांक:- 23/6/25

क्रमांक: सीडर/2025/855

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को प्रालनार्थ प्रेषित है।

6

(सुभाष चन्द्र)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

आर.ए.एस.
रायसिंहनगर